अध्याय VI : सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

प्रसार भारती

6.1 अधिक संस्वीकृत भार के कारण विद्युत आपूर्ति हेतु अतिरिक्त भुगतान

वास्तविक आवश्यकता संगति में संस्वीकृत भार के मूल्यांकन में विफलता के कारण, निर्धारित प्रभारों के प्रति ₹ 82.41 लाख का अधिक भुगतान।

उपभोक्ताओं के सभी गैर-घरेलू श्रेणियों के लिए, उ.दि.वि.लि.[1] के विद्युत टैरिफ की अनुसूची के अनुसार, संस्वीकृत भार अथवा अधिकतम मांग इंडेक्स (अ.मां.इं.[2]) की रीडिंग, जो भी अधिक हो, पर निर्धारित प्रभार प्रति के.वी.ए. के आधार पर लगाया जाना था। दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (दि.वि.वि.आ.) के दिशानिर्देश निर्धारित करते हैं कि अप्रैल 2009 से मार्च 2010 की अवधि से, उपभोक्ता द्वारा 12 माह की अवधि के दौरान उपयोग की गई तीन अधिकतम मांग रीडिंग के औसत को आगामी वर्ष अर्थात 2010-11 के दौरान संस्वीकृति भार को संशोधित करने के लिए अपनाया जाएगा। बिजली के किसी भी मितव्ययी एवं बड़े उपभोक्ता द्वारा यह देखा जाना अपेक्षित है कि यह बढ़ाये हुए संस्वीकृत भार के प्रति निर्धारित प्रभारों का भुगतान नहीं करें।

प्रसार भारती (प्र.भा.) की दो इकाईयों[3] के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जाँच (मार्च 2012) ने उजागर किया कि संस्वीकृत भार खपत पैटर्न से अधिक थे, जिसका आशय था कि भार का मूल्यांकन दि.वि.वि.आ. दिशानिर्देशों के अनुसार नहीं किया गया था। अधिक संस्वीकृत भार, के परिणामस्वरूप अप्रैल 2010 से मार्च 2012 की अवधि के दौरान ₹82.41 लाख के निर्धारित प्रभारों का अतिरिक्त भुगतान हुआ जैसा कि निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

प्र.भा. की इकाई	अवधि	संस्वीकृत भार (के.वी.ए. में)	दि.वि.वि.आ. दिशानिर्देशों[4] के अनुसार मूल्यांकन (के.वी.ए. में)	अधिक अनुशंसित भार (के.वी.ए. में)	निर्धारित प्रभारों के कारण अधिक भुगतान
अधीक्षण अभियंता, उच्च शक्ति ट्रांसमीटर,	अप्रैल 2010 से मार्च 2011	5214	3741	1472	1472 के.वी.ए.*12माह * ₹ 150=₹ 26.50 लाख

[1] उत्तरी दिल्ली विद्युत लिमिटेड।

[2] अधिकतम मांग इंडेक्स-मासिक बिल में दिखाया गया उच्चतम खपत

[3] अधीक्षण अभियंता उच्च शक्ति ट्रांसमीटर, अखिल भारतीय रेडियो, खामपुर तथा अधीक्षण अभियंता, उच्च शक्ति ट्रासंमीटर अखिल भारतीय रेडियो, किंग्सवे कैम्प।

[4] उपभोक्ता द्वारा पिछले वित्त वर्ष में उपयोग की गई तीन उच्चतम मांग रीडिंग के औसत पर।

अखिल भारतीय रेडियो, खामपुर	अप्रैल 2011 से जुलाई 2011	5214	3191	2023	2023 के.वी.ए.*4माह * ₹ 150= ₹ 12.14 लाख
	अगस्त 2011 से मार्च 2012	5214	3191	2023	2023 के.वी.ए.*8माह* ₹ 125=₹ 20.23 लाख
अधीक्षण अभियंता, उच्च शक्ति ट्रांसमीटर, अखिल भारतीय रेडियों, किंग्सवे कैम्प	अप्रैल 2010 से मार्च 2011	1470	813	657	657 के.वी.ए.*12माह * ₹ 150=₹ 11.83 लाख
	अप्रैल 2011 से जुलाई 2011	1470	738	732	732 के.वी.ए.*4 माह * ₹ 150=₹ 4.39 लाख
	अगस्त 2011 से मार्च 2012	1470	738	732	732 के.वी.ए.*8 माह * ₹ 125=₹ 7.32 लाख
योग					**₹ 82.41 लाख**

इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा ने पाया कि उ.दि.वि.लि. ने सितम्बर 2011 में दोनों ही यूनिटों के टैरिफ श्रेणी को एम.एल.एच.टी. से एन.डी.एच.टी. में संशोधित किया। हालांकि, टैरिफ श्रेणी में कमी के बावजूद संस्वीकृत भार का मूल्यांकन कर उसे प्रक्रिया के अनुसार कम नहीं किया गया था, जो अप्रैल 2010 से मार्च 2012 की अवधि के दौरान ₹ 82.41 लाख के अधिक भुगतान में पारित हुआ।

मंत्रालय ने प्रसार भारती के उत्तर की पुष्टि की (फरवरी 2013) कि दोनों ही स्टेशनों में, वास्तविक आवश्यकता की संगति में संस्वीकृत भार संशोधित किये गये थे। खामपुर वाले स्टेशन के संस्वीकृति भार को 5214 के.वी.ए. से 4000 के.वी.ए. में अप्रैल 2012 से घटा दिया गया था। यदि अ.मां.ई. संस्वीकृत भार से अधिक चला जाता है तो वितरण उपयोगिता द्वारा दण्डित प्रभार से बचने के लिए एक सुरक्षा हाशिया रखा था।

इसके अतिरिक्त, किंग्सवे कैम्प वाले स्टेशन का संस्वीकृत भार जून 2012 से 1470 के.वी.ए. से 650 के.वी.ए. कम कर दिया गया था।

विभाग के उत्तर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को पुष्ट करते हैं। प्र.भा. को इसकी सभी इकाईयों के संस्वीकृत भार की समीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए करनी चाहिए कि क्या संस्वीकृति भार संबंधित विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार वास्तविक आवश्यकता के करीब है।